राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर

ज्योतिरावफुले सर्किल के पास, नयाबास, अलवर (राज0) – 301001

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक : एफ18(62)एफसीए / उवसं–अल. / 2023 / 315

दिनांक : 18/01/2023

निमित्त :–

श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक,
अरावली भवन जयपुर।

विषयः– Diversion of 2.852 Ha forest land for construction of Toll plaza between km. 115.00 to km. 116 at Dehli-Jaipur section of NH-8 district Alwar, Rajasthan forest diversion proposal under forest conservation Act, 1980.

संदर्भः– Proposal No. : FP/RJ/ROAD/41266/2019 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Online EDS प्राप्त हुए। उक्त आक्षेपों की पूर्ती निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	Online EDS	Complined
1	There is violation in the proposal, so what action was taken against the concerned officers.	उक्त टोल प्लाजा का निर्माण वर्ष 2006 में किया गया। जिसका उल्लेख भारत सरकार द्वारा जारी की गई प्रथम सैद्धान्तिक स्वीकृति 8बी / राज / 06 / 13 / 2009 / एफ.सी. / 677 दिनांक 08.09.2009 (संलग्न) में किया गया है। इस सैद्धान्तिक स्वीकृति के पश्चात यूजर एजेन्सी द्वारा शर्तों की पालना नहीं की जाकर वर्ष 2019 में पुनः प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रेषित किये गये है। इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा उनके पत्रांक 281 दिनांक 29.04.2019 (संलग्न) एवं पत्रांक 1988 दिनांक 11.11.2022 (संलग्न) से जानकारी दी है कि तत्कालीन NHAI जयपुर परियोजना निदेशक श्री राकेश गुप्ता थे परन्तु किसी भी अधिकारी द्वारा जान–बूझकर उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।
2	Calculation of penal NPV has to be taken.	Calculation of penal NPV की गणना पत्र संलग्न है।
3	Ca scheme / estimate should be given site specific.	Detailed CA Scheme estimate संलग्न है।

भवदीय,

(ए0 के0 श्रीवास्तव)
उप वन संरक्षक
अलवर

Toll plaza3

CGM NHAI, Jaipur

94 SP

Annex 1

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय [मध्य क्षेत्र]

Fax 0141-2358995

पंचम तल, केन्द्रीय भवन
सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
टेलीफैक्स-2324025

पत्र सं0 8 बी/राज0/06/13/2009/एफ.सी. (7)

दिनाँक 08.09.2009

सेवा में,
प्रमुख सचिव (वन),
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन, जयपुर ।

विषय : दिल्ली जयपुर रोड एन0एच0 8 के किमी 115 से 116 के (2.852 हे0) मध्य नया टोल प्लाजा बनाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : अतिरिक्त सचिव, राजस्थान शासन, जयपुर का पत्रांक प01(139)वन/2007/जयपुर, दिनाँक 18/06/2009 P. 92/C

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) [illegible], 1980 की धारा-(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है। यह अत्यन्त खेद का विषय है कि प्रस्तावित शाहजहाँ टोल प्लाजा लगभग 3 वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था, और इस पर विधिवत् दो वर्षो से टोल टैक्स वसूल किया जा रहा था किन्तु फिर भी वन (संरक्षण) अधिनियम के उल्लंघन को छिपाया गया एवं मात्र मूंज घास साफ कर कार्य प्रारम्भ करने की सूचना दी गयी, इसके लिए तत्कालीन परियोजना निदेशक श्री एच0 सी0 अग्रवाल, [illegible] निदेशक रा0उ0 पथ सं0 8, महाप्रबन्धक रा0उ0 पथ सं0 8, प्रबन्ध निदेशक, निर्माणकर्ता कम्पनी तथा उप वन संरक्षक, सा0वा0 प्रमण्डल, अलवर, दोषी हैं। इनके नाम एवं पतावली में सूचित किये जाय।

राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार दिल्ली जयपुर रोड एन0एच0 8 के किमी 115 से 116 के मध्य नया टोल प्लाजा बनाने एवं 75 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्ति वनभूमि 5.704 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण अवनत वनभूमि पर करायेगा एवं पाँच वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
2. याचक विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. याचक विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि जमा किया जायेगा।
4. भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी0ए0-1581, कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 मे जमा कराया जाये।
5. प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। अतः दुगने अवनत वनभूमि अर्थात 2 x 2.852 हे0 = 5.704 हे0 पर दण्डात्मक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि याचक विभाग द्वारा जमा की जायेगी। दण्डात्मक वृक्षारोपण की योजना, मानचित्र एवं भूमि का वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता का प्रमाण पत्र भी प्रेषित करें।
[illegible] वन संरक्षण अधिनियम में उल्लंघनकर्ता परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्धक एवं वन प्रमुख पदाधिकारी तथा निर्माणकर्ता एजेन्सी के नाम व पता प्रस्तुत किये जाय, जिससे उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति [illegible] जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक कार्यान्वित नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीय

(ऋतुराज सिंह)
उप वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. अतिरिक्त महानिदेशक (वन संरक्षण), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली-110003
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान ।
3. उप वन संरक्षक, सामाजिक वन प्रभाग, अलवर, राजस्थान।
4. प्रोजेक्ट डाइरेक्टर एन0एच0 ए0 ऑफ इंडिया, कॉरीडोर मैनेजमेन्ट यूनिट, कोटपुतली, राजस्थान।
5. गार्ड पत्रावली ।

(ऋतुराज सिंह)
उप वन संरक्षक(के.)

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण / NHAI PIU, Jaipur

ए० के० श्रीवास्तव
उप वन संरक्षक
अलवर (राज०)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जयपुर
Project Implementation Unit, Jaipur
डी-148, आर.एस.ई.बी. सब-स्टेशन के पीछे, वैशाली नगर, जयपुर-302021
D-148, Behind RSEB Sub-Station, Vaishali Nagar, Jaipur-302021

दूरभाष / Phone : 91-141-2351427
फैक्स / Fax : 91-141-4026465
ई-मेल / E-mail : jai@nhai.org

क्रमांकः 23040/भाराराप्रा/जेपीआर/वन विभाग/एमकेएस/2019/281 दिनांक 29.04.2019

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सुरक्षा एंव नोडल अधिकारी,
एफ.सी.ए., जयपुर

विषयः–दिल्ली – जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कि.मी. 115 से 118 के मध्य नया टोल प्लाजा के निर्माण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्रीमान् आपके पत्र दिनांक 11.04.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें इस सम्बन्ध में मुझे निम्नानुसार अवगत् कराना है किः

1. पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के पत्र संख्या 677 दिनांक 08.09.2009 (**संलग्नक–1**) के द्वारा जयपुर–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कि.मी. 115 से 116 के मध्य नया टोल प्लाजा बनाने हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति कुछ शर्तो के अधीन प्रदान की गई थी, जिन शर्तो की पालना भाराराप्रा द्वारा की जानी थी।

2. पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 08.09.2009 के द्वारा जारी सैद्वांतिक स्वीकृति अतिरिक्त सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र दिनांक 18.06.2009 (**संलग्नक–2**) के कम में जारी की गई थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कि.मी. 115 से कि.मी. 116 के मध्य नये टोल प्लाजा के निर्माण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि 2.85 हैक्टेयर वन भूमि पूर्व में प्रत्यावर्तित 92 हैक्टेयर वन भूमि में सम्मिलित है एंव उक्त वन भूमि मे से मात्र 240 वर्गमीटर भूमि के उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता होगी।

3. पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के पत्र दिनांक 08.09.2009 के द्वारा जारी सैंद्वातिक स्वीकृति में यह उल्लेखित किया है कि उक्त टोल प्लाजा 2 वर्ष पूर्व अर्थात 2007 से शुल्क संग्रहण का कार्य किया जा रहा है अर्थात वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन सैद्वांतिक स्वीकृति जारी होने से पूर्व ही हो गया था। अर्थात सैद्वांतिक स्वीकति के पश्चात् वन संरक्षण अधिनियम का कोई भी उल्लंघन भाराराप्रा स्तर से नही किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त इस प्रकरण में अवगत् कराना है कि पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कोटपूतली का कार्यालय बिलासपुर में था एंव आपके द्वारा प्रश्नगत् प्रकरण हेतु जितने भी पत्राचार किये गये सभी कोटपूतली कार्यालय को किये गये परन्तु दिनांक जुलाई 2009 (**संलग्नक–3**) में कोटपूतली इकाई का जयपुर इकाई में विलय कर दिया गया था। इस कारण उक्त पत्र एंव उसके बाद के सभी पत्र परियोजना प्रबंधन इकाई, कोटपूतली में जाते रहे परन्तु इस कार्यालय को प्राप्त नही हुए। प्रथम बार आपके पत्र दिनांक 02.03.2015 (**संलग्नक–4**) के माध्यम से उक्त प्रकरण की जानकारी इस कार्यालय को हुई, जिसके कम मे इस कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 16.03.2015 (संलग्नक–5) के माध्यम से पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ का पत्र दिनांक 08.09.2009 उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, जिससे यह कार्यालय सैद्वांतिक स्वीकृति की शर्तो से भिज्ञ होकर उनकी पालना करता।

4. परियोजना कार्यान्वयन इकाई के पत्र के कम में सूचना प्राप्त नही होने पर इस कार्यालय के प्रबंधक द्वारा व्यक्तिगत् रूप से उप वन संरक्षक, अलवर एंव आपके कार्यालय से सम्पर्क करके इस प्रकरण से सम्बन्धित पत्राचार की प्रतियॉ प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही प्रकियारत थी परन्तु इसी बीच माह जुलाई 2015 (**संलग्नक–6**) में निरस्तीकरण की सूचना प्राप्त होते ही इस कार्यालय द्वारा पत्र

दिनांक 09.09.2015 (**संलग्नक–7**) के द्वारा पूर्व पत्र इस कार्यालय को नही मिलने के कारण उक्त सैद्वांतिक स्वीकृति में वर्णित शर्तो का परिपालन नही होने के फलस्वरूप इस कार्यालय द्वारा खेद व्यक्त करते हुए आपसे पुनः अनुरोध किया गया था कि उक्त वर्णित सैद्वातिंक स्वीकृति के निरस्तीकरण पर पुर्नविचार करते हुए इस कार्यालय को उक्त शर्तो का पालन करने हेतु अनुमति दी जाए परन्तु इस सम्बन्ध में कोई निर्देश प्राप्त नही हुए है।

<u>उपरोक्त परिस्थितियो को दृष्टिगत् रखते हुए निम्नानुसार अनुरोध करना है किः</u>

1. पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ द्वारा जारी की गई सैद्वांतिक सहमति दिनांक 08.09.2009 एंव उसके बाद के पत्र भाराराप्रा के कार्यालय का स्थान परिवर्तन होने के कारण इस कार्यालय को प्राप्त नही हो पाई जिसके कारण सैद्वांतिक सहमति की शर्तो का अनुपालन नही किया जा सका।

2. चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कि.मी. 115 से कि.मी. 116 के मध्य शुल्क संग्रहण का कार्य 2007 से ही चल रहा था जैसा कि आपके पत्र दिनांक 08.09.2009 में वर्णित है बाद में वन संरक्षण अधिनियम का इस कार्यालय द्वारा कोई उल्लंघन नही किया गया।

3. पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ द्वारा वर्ष 1996 में अपने पत्रांक 8–103/95–एफसी दिनांक 21.06.1996 (**संलग्नक–8**) के द्वारा 96 हैक्टेयर भूमि प्रत्यावर्तन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–8 के चारलेनीकरण हेतु किया गया था। कि.मी. 115 से कि.मी. 116 के मध्य शुल्क संग्रहण केन्द्र बनाने हेतु आवश्यक भूमि 2.58 हैक्टेयर भी पूर्व में प्रत्यावर्तित भूमि का भाग है, कई स्तरो पर काफी पत्राचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि मात्र 240 वर्गमीटर (जिसमे शुल्क संग्रहण केन्द्र बनना था) का भूमि उपयोग परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। आपको अवगत् कराना है कि शुल्क संग्रहण केन्द्र को निर्माण भी मार्ग निर्माण का ही भाग होता है, जैसा कि भारत सरकार के असाधारण राजपत्र में भी उल्लेखित है (**संलग्नक–9**) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुल्क संग्रहण (भारत सरकार राजस्व) का कार्य वर्ष 2007 से किया जा रहा था वह यही मानकर किया जा रहा था कि शुल्क संग्रहण का कार्य भी मार्ग निर्माण का भाग है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी द्वारा जानबूझकर किसी भी नियम का उल्लंघन करने का उद्देश्य नही रहा है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यो को ध्यान में रखते हुए कृपया दिनांक 15. 07.2015 द्वारा किये गये निरस्तीकरण आदेश पर पुर्नविचार करते हुए इस कार्यालय को यथोचित् निर्देश देने की कृपा करे, जिससे इस प्रकरण को अन्तिम रूप दिया जा सके, जिसके लिए मै आपका आभारी रहूगॉ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार (संलग्नक 1 से 9)

परियोजना निदेशक
भाराराप्रा, पकाई जयपुर।

प्रतिलिपिः **मुख्य महाप्रबंधक (तक.)/ क्षेत्रीय अधिकारी, भाराराप्रा, जयपुर** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने स्तर से प.का.ई द्वारा वर्णित तथ्यो से अवगत कराते हुए पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ को सैद्वांतिक स्वीकृति के निरस्तीकरण पर पुर्नविचार करने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा एंव नोडल अधिकारी,एफ.सी.ए., जयपुर से अनुरोध करने की कृपा करें।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government Of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जयपुर/ Project Implementation Unit, Jaipur
डी-148, आर. एस.ई.बी. सब-स्टेशन के पीछे, वैशाली नगर, जयपुर-302021
D-148, Behind RSEB Sub-Satation, Vaishali Nagar, Jaipur-302021
दूरभाष / Phone : 91-141 - 4026465, ई-मेल /E-mail : jai@nhai.org

सत्यमेव जयते

भा रा रा प्रा NHAI

क्रमांकः 23040/भाराराप्रा/जेपीआर/वन/2022/1988 दिनांकः 11 .11.2022

श्री मनफूल सिंह (IFS)
मुख्य वन संरक्षक
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
जयपुर, राजस्थान

विषयः **Diversion of 2.852 Ha. of forest land for construction to toll plaza between km. 115.00 to km. 116 at Delhi-Jaipur section of NH-08 District-Alwar, Rajasthan forest diversion proposal under forest conservation Act, 1980-reg.**

संदर्भः
1. आपका पत्रांक एफ 5( ) एफ.सी.ए/मुवसंज/2022/2171 दिनांक 12.04.2022
2. उप वन संरक्षक, अलवर का अर्द्धशासकीय पत्रांक एफ18(63)एफसीए/उवसं/2022/1915 दिनांक 01.04.2022 एंव ई.डी.एस दिनांक 19.02.2020

महोदय,

कृपया आपके उक्त सदंर्भित पत्र दिनांक 12.04.2022 का संदर्भ ग्रहण करे जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या 8 पर किमी. 115 से किमी. 116 के बीच टोल प्लाजा निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग के मार्ग अधिकार मे घोषित रक्षित भूमि पर वन मण्डल अलवर अधीन 2.852 हैक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु प्राप्त प्रस्ताव मे कार्यालय अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर से आनलाईन EDS There is violation in the proposal, so what action taken against the concerned Officer जनरेट किया गया था। तथा इस सम्बन्ध मे दोषी अधिकारी का नाम व उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु इस कार्यालय को लिखा गया है।

इस सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी अनुसार उक्त कार्य वर्ष 2009 मे पूर्ण किया गया था। तथा उक्त समयावधि मे पकाई जयपुर परियोजना निदेशक श्री राकेश गुप्ता थे।

भवदीय,

परियोजना निदेशक
भाराराप्रा, पकाई-जयपुर

प्रतिलिपिः 1. मुख्य महाप्रबन्धक (तक.)/क्षेत्रीय अधिकारी, भाराराप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित हैं।
2. उप वन संरक्षक, अलवर को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

Calculation of Penal NPV in forest diversion case of Construction of toll plaza between Km 115 to Km 116 at Delhi Jaipur section of NH-8 (Proposal No. FP/RJ/Road/41266/2019

Following calculation has been done on the basis of Government of India guidelines F.No. 11-42/2017-FC dated 29th January 2018 :-

NPV Calculated as per existing rules = Rs. 9,57,780/- X 2.852 = Rs. 27,31,589/-

Date of cognizance of violation = 08-09-2006 (mentioned in attached In-principle approval dated 08-09-2009)

No. of years since violation (as of today) = 16 years

Penal NPV as above guidelines = Rs. 2731589 X 5 + (2731589 X 5 X 12% X 16 years)

Five years NPVs max Simple Interest Part for 16 years

= Rs. 3,98,81,199/-

Concessional Penal NPV for public utility projects of Government = Rs. 39881199X 20%

= Rs 79,76,240/-

Therefore, net payable Penal NPV = Rs 79,76,240/-

(A. K. Srivastava)
Deputy Conservator of forests,
Alwar

ए० के० श्रीवास्तव
उप वन संरक्षक
अलवर (राज०)

Scanned with CamScanner

Deputy Conservator of Forest, Alwar (Rajasthan)

Full title of the Project: "Construction of Toll Plaza Between Km 115.00 to Km 116.00 at Delhi -Jaipur Section of NH-8".

Proposal No. : FP/RJ/ROAD/41266/2019

Date of Proposal :30-07-2019

Diversion Area :2.852 Ha.

CHECK LIST SERIAL NUMBER: 18

"CA SCHEME FOR DFL"

Detail scheme for Compensatory Afforestation to be carried out in lieu of **2.852** of forest area to be diverted for "**Construction of Toll Plaza Between Km 115.00 to Km 116.00 at Delhi -Jaipur Section of NH-8**"

1.**Details of degraded forest land/non-forest land :-**

District__**Alwar**___Village – **Hameerpur**,Tehsil: **Bansur,**Name of Forest Division- **Alwar**__Range–**Behrod** forest Block/Compartment/Survey No **01** Area to be afforested **5.704 Hectare.**

2.Description of Area

I) Whether the site selected or Compensatory Afforestation is a land bank or not : ____________ N/A ___________

II) If the CA site is other than the land bank, reasons be given: - N/A

III) In case of non forest area identified for CA, then what is the Distance of CA site from the adjoining forest boundary:- N/A

IV) Soil type: Sandy Loam and Clay Loam

V) Topography:

(a) Hilly/Undulating/Plain: Plain

(b) Slope: Steep/Medium/Gentle:Gentle Slope

VI) Whether the area is bearing any root stock of vegetation: No

3.**Plantation Model:-**

Copy of the approved Compensatory Afforestation Scheme/Model showing componentwise physical and financial break up to be enclosed.

4. **Schedule o Plantation Programmer:-**

Detail of year wise break up of requirements of funds is as under:-

Year	Rate Per ha.
0Years(Advance Action)	55398.00
1st Year (Planting Year)	57767.00
2nd Year Maintenance (Year-2)	173400
2nd Year Maintenance (Year-3)	5237.00
Subsequent Maintenance (Year-4)	5237.00
Subsequent Maintenance (Year-5)	5237.00
Subsequent Maintenance (Year-6)	5237.00
Subsequent Maintenance (Year-7)	5237.00
Subsequent Maintenance (Year-8)	5237.00
Subsequent Maintenance (Year-9)	5237.00
Subsequent Maintenance (Year-10)	5237.00
Subsequent Maintenance (Year-11)	5237.00
Subsequent Maintenance (Year-12)	5237.00
Amount for CA (As per Approved Model Govt. Rajasthan)	**Total amount for CA Will Be: 1,82,875 X 5.704 = 10,43,120/-** (Ten Lacs Fourty Three thousand One Hundred Twenty Rupees Only)

5. **Technical details:-**

Technical details of Compensatory Afforestation Scheme are as follows:-

a) General Details: CA Scheme is prepared for 700 Plants per hectare as per departmental DFL model.
b) Spacing: 3×4Meter
c) Species: Acacia Nilotica, Acacia Tortilis and Azadirachta Indica and Prosopis cineraria.
d) Plantation Method: Manual
e) Soil and Moisture Conservation Works: As per Model.
f) Protection (Fencing, Watch man, People's Participation etc.):-Individual Plant Fencing
g) Proposed Monitoring Mechanism- One Guard will be deputed for Supervision
h) Any other information: Nil

Place : Alwar

Date : 18-01-2023

(Signature)

Name-------------------------

Designation एम० के० श्रीवास्तव

उप वन संरक्षक

Official Seal अलवर (राज०)--

Deputy Conservator of Forest, Alwar (Rajasthan)

DETAILS OF AMOUNT FOR CA ON DFL

Detail scheme (On DFL) for Compensatory Afforestation to be carried out in lieu of 2.852 Ha. of forest area to be diverted for "Construction of Toll Plaza Between Km 115.00 to Km 116.00 at Delhi - Jaipur Section of NH-8"

Forest Diversion Proposal -FP/RJ/ROAD/41266/2019

(Diversion AreaAlwar Division = 2.852 Ha.)

CA SCHEME -DFL (LabourRate : 259/- Rupees)					
0 Year (ADVANCE ACTION)					
S.No.	**ITEM OF WORK**	**RATE (Rs.)**	**LABOUR**	**MATERIAL**	**TOTAL**
1	Collection of Basic Dates for Microplanning and carrying out joint forest management activities.	575/ ha	604.33	50.29	655.00
2	Survey of area, lay out of contour trenches, burrowpits and making of segments / plots	463/ ha	475.44	50.29	526.00
3	Fencing by stone wall and or by ditch		0.00	0.00	0.00
	a) a.) Stone wall fencing 1.20m high 0.80m at base & 0.60 at top (on an average 30m/ha.)	225/rmt	7770.00	0.00	7770.00
	b.) Ditch fencing 1.20m deep,1.50m wide at top & 0.90m at bottom (on an average 30m/ha.)	245.16 / rmt	8466.75	0.00	8467.00
4	Cost of raising 770 seedlings	3.93/-plant	3492.24	1730.19	5222.00
5	Digging up 300 rmt Staggered Contour Trenches 45x45cm cross section on middle slopes and V-ditch as per site requirement.	28.28/ rmt	13025.39	0.00	13025.00
6	Digging of 300 pits size: 0.45x(.4+.5/2)2 cum	17.6 / pit	10128.97	0.00	10129.00
7	Cost of Collection and purchase of grass and other seeds of trees and shrubs.	Prorata	0.00	242.89	243.00
8	Treatments of Nallas by constriction series of check dams of dry ramdomtrubble/earthan/brushwood.	Prorata	755.11	0.00	755.00
9	Construction of thatched cattle guard hut	Prorata	145.92	78.11	224.00
10	Purchase of construction of water storage tank	Prorata	81.47	48.15	130.00
11	Labouraminities	Prorata	94.85	85.60	180.00

	..n and ward for 4 ..nths@15325/-	Prorata	1490.77	0.00	1491.00
	..urchase of tools and plants		0.00	110.21	110.00
	Construction of 50 mt. long contour dykes of 30X30 cm. cross section on upper slopes and sowing of suitable thorny shrub	30.46/rmt	526.51	0.00	527.00
15	Construction of the pillars of appropriate size of Gate.	Prorata	82.69	97.37	180.00
16	Purchase of signboards and their fixing	Prorata	32.83	92.02	125.00
17	Construction of approach road and inspectionpath	Prorata	285.75	0.00	286.00
18	Misc.and unforeseen expenses including running of vehicles	Prorata	154.43	162.64	317.00
	Total Year 0		**47613.45**	**2747.76**	**50362.00**
19	Administrative Charge 10%				5036.00
				TOTAL	**55398.00**
YEAR 1 (PLANTING YEAR)					
1	Collection of Dates for regarding impact assessment and strengthening joint forest management	Prorata	0.00	72.76	73.00
2	Maintenance of 770 seedling in nursery	2.11/ plant	2554.74	341.33	2896.00
3	Digging of 400 pits size: 0.45x(.4+.5/2)2 cum.	17.73/ pit	12154.76	0.00	12155.00
4	In Situ soil and Moisture conservation measures like check dam., nadies , earthen bunds etc.	Prorata	3247.84	255.73	3504.00
5	Sowing/dibbling of seeds grass/thorny trees species on the mounds of contour trench and ditch fencing etc. (370m/ ha.)	0.59/ m	238.33	11.77	250.00
6	Purchase of insecticide fertilizers.	0.82 / plant	0.00	906.29	906.00
7	Sowing of pellets of grass/pieces of seed mud cakes of grass seeds between row of pits by ploughing and furrowing	Prorata	1011.68	62.06	1074.00
8	Transportation of 1100 plants from nursery to planting site	1.41/plant	1714.51	68.48	1783.00
9	Planting of 700 seeding including Refilling of pits	3.58/plant	5189.73	0.00	5190.00
10	Watering (id sufficient rains are not there) insecticide in 700 plants at the time of planting.	3.16/plant	4012.68	0.00	4013.00

	...oration of natural regenerations by ...aking crescent shaped mounds on the ...ower slopes of seeding and sapling and making ring trenches around the natural trees/ shrubs (150 plant/ha)	4.1/plant	707.69	0.00	708.00
12	Making of crescent shaped mounds below planted sapling after planting and dibbing 3 seeds of thorny tree species (700 plants/ha)	3.16/plant	4534.32	0.00	4534.00
13	Weeding and hoeing of 700 plants in 2 times. Repairing of plants mound.	2.03/plant	9041.90	0.00	9042.00
14	Weeding on contour trenches and"V" ditches and spacement singling	Prorata	813.48	0.00	813.00
15	Raising of 70 seedlings in nursery for casualty replacement year -2 (10% of 700)	3.94/seeding	317.37	157.29	475.00
16	Watch and ward for 12 months @ Rs 15325/- Month	Prorata	4472.31	0.00	4472.00
17	Labour amenities	Prorata	200.63	23.54	224.00
18	Construction of gate and fixing of sign board	Prorata	32.83	92.02	125.00
19	Miscellaneous and unforeseen expenditure.	Prorata	160.51	117.70	278.00
	Total Year 1		**50405.31**	**2108.97**	**52515.00**
20	Administrative Charge 10%				5252.00
	TOTAL				**57767.00**
First Year Maintenance (Year-2)					
1	Collection of Datas for regarding impact assessment and strengthening joint forest management	Prorata	0.00	72.76	73.00
2	Maintenance of 70 seedling in nursery for casualty replacement in year-2	2.11/ plant	232.25	31.03	263.00
3	Repair of Fencing	Prorata	237.11	9.63	247.00
4	Casualty replacement 70 plants including redigging of pits, Transportation planting , Watering and application of insecticides.	11.55/ plant	1382.55	69.55	1452.00
5	Weeding and hoeing in 700 plants 3.57/plant in pits two times.	3.57/ plant	9041.90	0.00	9042.00
6	Watch and ward for 12 months @ Rs 15325/- Month	Prorata/ha	4472.31	0.00	4472.00
7	Miscellaneous and unforeseen expenditure.	Prorata	147.13	67.41	215.00
	TOTAL YEAR-2		**15513.25**	**250.38**	**15764.00**
8	Administrative Charge 10%				1576.00
	TOTAL				**17340.00**

	ENT MAINTENANCE (YEAR 3 TO 12)				
	llection of Datas for regarding impact assessment and strengthening joint forest management	Prorata	0.00	72.76	73.00
2	Watch and ward for 12 months @ Rs 15325/- Month	Prorata/ha	4472.31	0.00	4472.00
3	Miscellaneous and unforeseen expenditure including (repairing of fencing/structures pruning etc.)	Prorata	115.52	100.58	216.00
	TOTAL YEAR-3		**4587.8**	**173.3**	**4761.0**
4	Administrative Charge 10%				476.00
	TOTAL				**5237.0**

CA SCHEME - DFL (Labour Rate: 259/- Rupees)

"Construction of Toll Plaza Between Km 115.00 to Km 116.00 at Delhi - Jaipur Section of NH-8"
Forest Diversion Proposal -FP/RJ/ROAD/41266/2019
(Diversion AreaAlwar Division = 2.852 Ha.)

Sr. No	Details of Work	Rate Per Hectare	Degraded Forest Land (DFL) Area (in Hectare)	Total Amount for CA (In Rupees)
1	0Years(Advance Action)	55398.0	5.704	**315990**
2	1st Year (Planting Year)	57767.0	5.704	**329503**
3	1st Year Maintenance (Year-2)	17340	5.704	**98907**
4	2nd Year Maintenance (Year-3)	5237.0	5.704	**29872**
5	Subsequent Maintenance (Year-4)	5237.0	5.704	**29872**
6	Subsequent Maintenance (Year-5)	5237.0	5.704	**29872**
7	Subsequent Maintenance (Year-6)	5237.0	5.704	**29872**
8	Subsequent Maintenance (Year-7)	5237.0	5.704	**29872**
9	Subsequent Maintenance (Year-8)	5237.0	5.704	**29872**
10	Subsequent Maintenance (Year-9)	5237.0	5.704	**29872**
11	Subsequent Maintenance (Year-10)	5237.0	5.704	**29872**
12	Subsequent Maintenance (Year-11)	5237.0	5.704	**29872**
13	Subsequent Maintenance (Year-12)	5237.0	5.704	**29872**
Amount for CA (As per Approved Model Govt.Rajasthan		**182875.0**	**5.704 ha.**	**1043120.0**

Place : Alwar
Date : 18/01/2023

(Signature)
Name---------- ए० के० श्रीवास्तव
Designation ----------------
Official Seal----------------